परिषद की वर्ष 1980 की प्रथम बैठक

दिनांक 25-2-80

सरकिट हाउस, इलाहाबाद में दिनांक 25-2-80 को 10-30 पूर्वान्ह में हुई उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

(1) श्री बी०जे०खोदाभजी		अध्यक्ष
(2) श्री टी०एन०सिंह	एडवोकेट	सदस्य
(3) श्री राम औतार दीक्षित	सदस्य, विधान परिषद्	सदस्य
(4) प्रो०दिनेश मोहन	निदेशक, सी०बी०आर०आई०, रुड़की	सदस्य
(5) श्री जवाहर लाल शुक्ल	अनु सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य

बैठक की कार्यवाही पर विचार-विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

क्र०सं०	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
(1)	दिनांक 10-12-79 को परिषद मुख्यालय पर हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	1/(1)/80	बैठक के कार्यवृत्त की संकल्प संख्या V/(3)/79 में निम्न संशोधन के साथ पुष्टि की गई:- "परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। यह सुनिश्चित किया जाय कि इस कार्य से परिषद के कार्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस विषय में एक टिप्पणी अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।"
(2)	परिषद की बैठक दिनांक 10-12-79 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।	1/(2)/80	परिषद द्वारा दिनांक 10-12-79 की बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया और निम्नलिखित निर्देश दिये गये:- 1- कार्यवृत्त की प्रतियां जिस पत्र सदस्यों को भेजी गई है उसका और दिनांक भी एजेण्डा नोट सम्मिलित किया जाय। 2- आवास आयुक्त, जिलाधिकारी, हरदोई एवं परिषद सदस्य श्री राम औतार दीक्षित के साथ नजूल भूमि प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें। 3- राज्य विद्युत परिषद से अधिशासी अभियन्ता की सेवायें प्राप्त करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जाय। 4- संयुक्त सचिव, आवास से भू-प्रयोग परिवर्तन के मामलों में बातचीत कर मामलों का निस्तारण यथाशीघ्र कराया जाय।

ह०प०उ०

1	2	3	4
			5- राज्य स्तर पर कोयले की उपलब्धता के लिये अधिक प्रयास किये जायं तथा इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय को एक नोट प्रस्तुत किया जाय जिससे अध्यक्ष महोदय संयुक्त सचिव, मिनिस्ट्री आफ कोल से वार्ता कर इस सम्बन्ध में प्रगति करा सकें। सचिवालय स्तर पर आवास आयुक्त एवं सचिव, आवास के साथ एक बैठक आयोजित की जाय तथा 'होलो ब्रिक्स' के सम्बन्ध में तुलनात्मक अध्ययन कर परिषद के लिये एक टिप्पणी प्रस्तुत की जाय।
			6- निर्माण कार्य के लिए लकड़ी की उपलब्धता पर आवास आयुक्त एवं कार्य निदेशक अध्यक्ष, वन निगम तथा गढ़वाल मण्डल विकास निगम से सम्पर्क स्थापित कर समुचित कार्यवाही करें।
			7- अलीगढ़ की नयी योजनाओं के लिये भूमि अध्याप्ति के सम्बन्ध में परिषद की अगली बैठक में अवगत कराया जाय।
			8- प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संविलीनीकरण के सम्बन्ध में समिति की आख्या परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।
			9- श्रीमती दीप्ति सान्याल एवं श्याम सुन्दरी मिश्रा को परिषद के निर्णय से अवगत करा दिया जाय।
			10- भूमि अध्याप्ति के जो विषय शासन स्तर पर लम्बित हैं उनको व्यक्तिगत प्रयास द्वारा संपन्न कराने में शीघ्रता करायी जाय।
			11- भूमि अध्याप्ति के सम्बन्ध में जो विज्ञप्तियाँ गज़ट में प्रकाशित हुई हैं उनके प्रकाशन नम्बर एवं दिनांक तथा गज़ट की दिनांक भी प्रस्तुत किये जायं।
			12- भूखण्डों एवं भवनों के पंजीकरण एवं आवंटन सम्बन्धी नियमावली परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।
			13- मुख्यालय पर वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में शासन को पूर्ण औचित्य बताते हुये पत्र लिखा जाय। जो पत्र लिखा गया है वह पर्याप्त नहीं है।
			14- राजस्व विभाग हेतु तहसील मुख्यालयों पर भवन निर्माण योजना (डिपाज़िट-वर्क) के सम्बन्ध में परिषद को प्रस्तुत स्थिति से अवगत कराया जाय।

कृ०प०उ०

1	2	3	4
			15- बाराबंकी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-1, बाराबंकी के सम्बन्ध में सचिव, आवास विभाग को एक तथ्यात्मक नोट प्रस्तुत किया जाय।
			16- राम सागर मिश्र नगर योजना, लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम गाजीपुर, मुन्शीपुरवा और बस्तौली में रहने वालों के लिये परिषद द्वारा सार्वजनिक शौचालयों, मार्ग के दोनों ओर नाली निर्माण तथा पानी के नल आदि लगाने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर उप सचिव, आवास, उप सचिव, पंचायत राज, निदेशक पंचायत राज एवं आवास आयुक्त के मध्य एक बैठक कर इस मामले में निर्णय लिया जाय।
			17- परिषद की योजनाओं में धार्मिक स्थानों की स्थापना के लिये भूमि का प्राविधान करने के सम्बन्ध में परिषद द्वारा इंगित सदस्यों की बैठक शीघ्र आयोजित की जाय।
			18- सहायक निदेशक (जनसंपर्क एवं प्रचार) के वर्तमान पद के उच्चीकरण के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाय।
			19- पार्क रोड स्थित भवनों की त्रुटियों के सम्बन्ध में प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर एवं वर्क्स एक्जामिनर की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाय।
(3)	परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किराया पद्धति पर परिषद की योजनाओं में भवन आवंटन।	1/(3)/80	परिषद ने विचार-विमर्श के पश्चात् इस सम्बन्ध में परिषद को विस्तृत आख्या देने के लिये निम्नलिखित सदस्यों की एक उप समिति गठित की:— 1- श्री टी०एन०सिंह 2- श्री जे०पी०दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक। 3- उप आवास आयुक्त एवं सचिव।
(4)	निर्माण कार्य की समीक्षा (31 जनवरी-80 तक)	1/(4)/80	परिषद ने निर्माण कार्यों की समीक्षा (31 जनवरी-80 तक) का अवलोकन किया।
(5)	परिषद योजनाओं में सामाजिक एवं सार्वजनिक सुविधाओं का प्राविधान।	1/(5)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया तथा निर्देश दिए कि इसके सम्बन्ध में क्रियान्वयन की प्रक्रिया का अध्ययन कर, रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय।
(6)	16-ए०पी०सेन रोड, लखनऊ स्थित भूमि एवं भवन को परिषद की योजना हेतु क्रय करने के सम्बन्ध में।	1/(6)/80	परिषद ने विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि 16-ए०पी०सेन रोड, लखनऊ स्थित भवन को परिषद की योजना हेतु क्रय न किया जाय। परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि 104-महात्मा गांधी मार्ग स्थित

कृ०प०उ०

1	2	3	4
			परिषद कार्यालय भवन में ही एक नया कार्यालय भवन बनाया जाय। इसके सम्बन्ध में भवन निर्माण का डिजाइन परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत हो। औपचारिक भू-प्रयोग परिवर्तन के लिये शासन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।
(7) परिषद द्वारा गठित कार्यान्वयन समिति की रिपोर्ट।		1/(7)/80	परिषद ने कार्यान्वयन समिति की रिपोर्ट का अवलोकन किया।
(8) नाइक सेवा में राजकीय कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति विषयक शासन के दिनांक 17-3-79 के आदेश से उत्पन्न कठिनाई।		1/(8)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव को अगली बैठक के लिये स्थगित कर दिया।
(9) सेवा विनियमों में संशोधन।		1/(9)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया तथा निर्देश दिया कि विनियमों में संशोधन का कार्य दो माह में करा लिया जाय।
(10) परिषद की योजनाओं के अन्तर्गत सहकारी गृह निर्माण समितियों हेतु भूखण्डों के आवंटन में आरक्षण तथा आवंटन प्रक्रिया में संशोधन के सम्बन्ध में।		1/(10)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया तथा निम्नलिखित निर्देश दिये:- 1- विनियम-33 में आरक्षित वर्ग को वरीयता क्रम में विस्थापित व्यक्तियों के बाद सहकारी गृह निर्माण समितियों को रखा जाय। 2- सहकारी गृह निर्माण समितियों को 4 व्यक्तियों को ग्रुपिंग की सीमा के बाहर तक सभी सदस्यों को ग्रुपिंग करके आरक्षित कोटे तक लाटरी निकाली जाय। 3- जिन सहकारी गृह निर्माण समितियों ने लिखित सहमति दी है उन्हें अविकसित भूखण्ड इस शर्त के साथ आवंटित कर दिये जायं कि विकास का कार्य पूर्ण होने पर भूखण्ड का अनुमानित मूल्य जो परिषद द्वारा तय किया जायेगा वे परिषद कोष में जमा कर देंगे। उपर्युक्त सुविधा चरणवार ही उपलब्ध करायी जायेगी
(11) देवपुर पारा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।		1/(11)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को परिषद अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
(12) पाँचवी कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम, राजाजीपुरम, लखनऊ।		1/(12)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया।
(13) मुख्य हडको कम्पोजिट प्रोजेक्ट नं0-3 फेज चतुर्थ, मेरठ।		1/(13)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

कृ०प०उ०

1	2	3	4
(14) षष्टम हडको (एच०आई०जी०) हाउसिंग प्रोजेक्ट कमलानगर आगरा, स्कीम नं०-1198 (सी०)		1/(14)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया।
(15) तुलसीपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना वाराणसी की धारा-31 (2) के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।		1/(15)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31 (2) के अधीन स्वीकार किया।
(16) परिषद की गुरु तेग बहादुर नगर योजना इलाहाबाद में डा०एस०बी०मेहरोत्रा को आबंटित भूखण्ड संख्या-डी०-60 के विक्रय हेतु अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।		1/(16)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
(17) कानपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-1, कानपुर।		1/(17)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से परिषद अधिनियम-1965 की धारा 31 (1) के अधीन स्वीकार किया।
(18) अंगूरी बाग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, फैजाबाद में भिनु श्री रबिदत्त त्रिपाठी के निर्माण के सम्बन्ध में।		1/(18)/80	परिषद ने बिचार-बिमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि श्री रबिदत्त त्रिपाठी की भूमि छोड़ी न जाय बल्कि उन्हें परिषद द्वारा निर्धारित मूल्य पर आबंटित कर दिया जाय।
(19) बिश्वनाथ रोड भूमि बिकास एवं गृहस्थान योजना सं०-2 अल्मोड़ा का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।		1/(19)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने एवं अग्रिम कार्यबाही करने की अनुमति प्रदान की।
(20) नुरूल्ला रोड सड़क योजना इलाहाबाद का धारा-31 (1) के अन्तर्गत परिषद की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।		1/(20)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31 (1) के अधीन स्वीकार किया।
(21) परिषद द्वारा निर्मित कालोनियों को स्थानीय निकायों द्वारा टेक-ओवर न करने से उत्पन्न उनकी रख-रखाव की समस्या।		1/(21)/80	परिषद ने बिचार बिमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया कि इस मसले को अधीक्षण अभियन्ताओं के स्तर पर टेक-अप किया जाय। अधीक्षण अभियन्ता व्यवहारिक आनम्य दृष्टिकोण से नगरमहापालिका/नगर पालिका के अधिकारियों से बार्ता करके समस्या का हल करायें। इस कार्य में प्रगति लाने हेतु श्री उमा कान्त, प्राबिधिक सलाहकार, प्रतिनिधि सार्बजनिक उद्योग ब्यूरो, आवास परिषद तथा स्वायत्त बिभाग के अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है।
(22) राम सागर मिश्र नगर बिस्तार योजना, लखनऊ।		1/(22)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31 (2) के अन्तर्गत स्वीकार किया। यह भी निर्णय लिया गया कि योजना क्षेत्र में पड़ने वाले हरिजनों के भवनों के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त करने बाद नियमानुकूल ढंग से निस्तारण किया जाय। ऐसी रिपोर्ट मय कार्यबाही के परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।

क०प०उ०

2	3	4
		का निपटारा शीघ्र किया जाय।
वित्तीय वर्ष के पुनरीक्षित [वित्तीय] वर्ष-1980- [81 के आय] व्ययक में [अधि]ष्ठान एवं [योजनाओं के] व्योरे बार	11/(3)/80	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त वित्तीय वर्ष-1979-80 ने पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष-1980-81 के आय-व्ययक में सम्मिलित अधिष्ठान एवं योजनाओं के व्योरे बार अनुमान, जैसे कि परिषद के सदस्यों के समक्ष प्रस्तु[त] किये गये, को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
[प्रब]न्ध का	11/(4)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से सम्पत्ति प्रबन[्ध] के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रद[ान] की तथा यह निदेश दिये कि पुनर्गठन के सम्बन्ध में सामान्य जनता के सूचना[र्थ] व्यापक प्रचार किया जाय तथा दूरभाष नम्बरों की भी पर्याप्त पब्लिसिटी की जाय जिससे कि सम्पत्ति प्रबन्ध के न[ये] केन्द्रों पर जन-सामान्य सम्पर्क स्थापि[त] कर सकें।
[...] एवं विकास [...]ा आवासीय [...] भवनों के [...]वं प्रदेशन [वि]नयमावली-1979	11/(5)/80	विचार विमर्श के उपरान्त परिषद ने प्रस्तावित विनियमावली को स्वी[कृति] प्रदान की तथा निम्नलिखित स[ंशोधन] करने के निर्देश दिये:- 1- विनियम-28(4) को अन्तिम प[ंक्ति] के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय: '' किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जो सम्पत्ति नकद क्रय पद्धति पर प्राथमिकता के आधार पर प्रदेशित [की] जायेगी उस पर विकल्प परिवर्तन न[हीं] किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों [में] आवास आयुक्त स्वविवेकानुसार अपवा[द] रूप में ऐसे विकल्प परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान करने के सक्षम होंगे। 2- विनियम-32(1) को तृतीय पंक्ति में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:- '' 4% परिषद कर्मचारी'' 3- विनियम-33(1)(व) में से निम्नलिखित निकाल दिया जाय:- '' छोटे भूखण्ड रुपये 5 प्रति वर्गमी[टर] या प्रतिकर दर जो भी अधिक हो, पर दिये जायेंगे।'' 4- विनियम-33(6) में से निम्नलिखित निकाल दिया जाय:- '' निष्कासित अथवा बर्खास्त कर दिये गये हों या उनकी सेवायें समाप्त कर दी गई हों।''

कृ०प०उ०

राम सागर मिश्र विस्तार योजना लखनऊ के लिये बातचीत द्वारा भूमि अधिग्रहण करने के प्रश्न पर भी परिषद ने विचार किया और यह निर्णय लिया बातचीत के माध्यम से प्राप्त परिणाम अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त परिषद हित में निर्णय लें। यह निर्णय परिषद का निर्णय समझा जायेगा।

(23) परिषद की योजना सं०-3 के चरण प्रथम में 29 नग मध्यम आय वर्ग तथा 30 नग अल्प आय वर्ग के भवनों का निर्माण।	1/(23)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
(24) परिषद की कमलानगर योजना आगरा के सेक्टर-10 में आठ दुकानों का निर्माण।	1/(24)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
(25) मालरोड योजना के अन्तर्गत निर्मित उच्च आय वर्ग के प्रदेशन के सम्बन्ध में।	1/(25)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
(26) हल्दवानी योजना, हल्दवानी में 15वें शासन ऋण (79-80) के अन्तर्गत 26 एल०आई०जी० भवनों का निर्माण।	1/(26)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
(27) पटेलनगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गोरखपुर को आगे चलाये जाने के सम्बन्ध में।	1/(27)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव अनुमोदन किया।
(28) हल्दवानी योजना, हल्दवानी में परिषद प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 16 नग मध्यम आय वर्ग के भवनों का निर्माण।	1/(28)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
(29) परिषद के किसी अधिकारी/कर्मचारी की परिषद में सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी को परिषद की योजनाओं के अन्तर्गत विशेष सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में।	1/(29)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
(30) हडको वित्त पोषित साइट एण्ड सरविसेज प्रोजेक्ट, चन्द्रशेखर नगर, उन्नाव।	1/(30)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।
(31) हडको द्वारा वित्त पोषित एल०आई०जी० हाउसिंग स्कीम राजाजीपुरम (फेज-लखनऊ)	1/(31)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।
(32) वित्त पोषित चतुर्थ कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम करेली इलाहाबाद (स्कीम नं०-123)	1/(32)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।
(33) आवास परिषद की देहरादून रोड पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना रुड़की में समाविष्ट खसरा नं०-1171 से 1178 तक को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में।	1/(33)/80	परिषद ने विचार-विमर्श के पश्चात् इस सम्बन्ध में परिषद को परामर्श देने के लिये निम्नलिखित सदस्यों की एक उपसमिति गठित की:- 1- श्री टी०एन०सिंह 2- प्रो०दिनेश मोहन 3- आवास आयुक्त

क्र०प०उ०

4- श्री जे०पी०दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक।

अंगूरीबाग ...मि विकास एवं गृहस्थान योजना ...ा, फैजाबाद (क्षेत्रफल 9.23) ...3 एकड़ अनुमानित लागत 9.461 ...। लाख)	1/(34)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। साथ ही निर्देश दिये कि जिन व्यक्तियों ने अपने भवन/भूखण्ड को अर्जन से मुक्त कराने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की है उन्हें अर्जन से मुक्त न किया जाय बल्कि आवंटन में इनके साथ अन्य विस्थापितों के अनुसार कार्यवाही की जाय।
...ोजनाओं में प्रदिष्ट ...य के भुगतान ...त्य परिवर्तन करने ...ा जाना।	1/(35)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया तथा निर्णय लिया कि सम्पत्ति के मूल्य का भुगतान विकल्प परिवर्तित कराने पर जितनेमूल्य की किश्त कराना है उसी पर परिवर्तन शुल्क लिया जाय।
...य पर प्रोजेक्ट ...कोष्ठ की स्थापना।	1/(36)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।
...ज़ाइन सेल की	1/(37)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।
...ोजनाओं के लिये ...कराये जाने के	1/(38)/80	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये:- विधि अधिकारी का पद समाप्त किया जाय तथा उसके स्थान पर सहायक आवास आयुक्त भूमि अर्जन (वेतनमान-रुपये 550-1200)का नया पद सृजित किया जाता है। भूमि अध्याप्ति के मामलों में अधिगृहण की कार्यवाही, विभिन्न न्यायालयों में परिषद की ओर से पैरवी करने आदि के लिये 4 नायब तहसीलदार, भूमि अर्जन के पद स्वीकृत किये जाते हैं। उपर्युक्त पदों को नियुक्ति विभाग/राजस्व परिषद से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को लेकर भरा जाय।
... शिक्षण ...रिषद ...ये जाने	1/(39)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये:-

पूर्व स्वीकृत गाइड लाइन्स में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:-

1- भवन निर्माण की कुल अनुमानित लागत का 25% धन विद्यालय के जमा खाते में हो।

2- संस्था को नियमानुसार लीज़रेन्ट देय होगा।

3- संस्था विद्यालय भवन का नक्शा परिषद से पास करायेगी।

4- संस्था को प्रचलित स्वीकृत विकसित भूमि का मूल्य निम्नलिखित आधार पर देय होगा:-

1- प्रथम 1000 वर्ग मीटर तक 40%

[signature]

क्र०प०उ०

2	3	4
		2- 1000 से 2500 बर्ग मीटर तक 35%
		3-2500 बर्ग मीटर से ऊपर 25%
		प्रदेशन के सम्बन्ध में निम्नलिखित समिति केगठन की भी स्वीकृति दी गई:-
		1- आवास आयुक्त
		2- श्री टी०एन०सिंह
		3- श्री आम ओतार दीक्षित
ा-3, केन्द्र-प्रथम-क सामुदायिक मिप।	1/(40)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्बसम्मति से स्वीकार किया।
त एवं बिकास र्गत शासन से लाख रुपये का	1/(41)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्बसम्मति से स्वीकार किया।
ष का पुर्नगठन।	1/(42)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव का सर्बसम्मति से अनुमोदन किया तथा निम्नलिखित की उपसमिति इस योजना के स्वरूप और कार्यान्वयन को निर्धारित करने के सम्बन्ध में बनाई:-
		1- आवास आयुक्त
		2- श्री टी०एन०सिंह
		3- श्री जबाहर लाल शुक्ल।
हादुर नगर म बिकास एवं जना, इलाहाबाद 8 हेतु प्रस्ताव न।	1/(43)/80	परिषद ने सर्बसम्मति से इस प्रस्ताव को परिषद् अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा अग्रिम कार्यबाही करने की अनुमति प्रदान की।
गृहस्थान योजना सी का धारा-स्ताव एवं प्राक्कलन।	1/(44)/80	परिषद ने सर्बसम्मति से इस प्रस्ताव को परिषद् अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा अग्रिम कार्यबाही करने की अनुमति प्रदान की।
ई मार्ग स्थित ने का धारा-28 एवं प्राक्कलन।	1/(45)/80	परिषद ने सर्बसम्मति से इस प्रस्ताव को परिषद् अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा अग्रिम कार्यबाही करने की अनुमति प्रदान की।
एवं 49, 60 राग नारायण ान योजना, धारा-28 हेतु वं प्राक्कलन।	1/(46)/80	परिषद ने सर्बसम्मति से इसप्रस्ताव को परिषद् अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा अग्रिम कार्यबाही करने की अनुमति प्रदान की।

क०प०उ०

47) भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, पटेल नगर, उरई का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	1/(47)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को परिषद् अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
[illegible] रोड गृहस्थान योजना [illegible]या-2 [illegible]दौसा का धारा-28 हेतु प्रस्ता[illegible] एवं प्राक्कलन।	1/(48)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को परिषद् अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
सिबिल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, फतेहपुर की धारा-8 हेतु प्रस्ताव एवं [illegible]।	1/(49)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को परिषद् अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
50) हाथ[illegible] [illegible] विकास एवं गृह[illegible] [illegible]जना सं०-[illegible] [illegible]8 हेतु प्रस्ताव एवं	1/(50)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
5[illegible] अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य प्रस्तुत विषय	1/(51)/80	1- परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को मिलने वाले वाहन भत्ते को आयकर प्रपत्रों हेतु परिषद हित में की गई यात्राओं पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में निर्णय:- परिषद व्दारा निर्णय लिया गया कि जो वाहन भत्ता अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है वह आयकर प्रपत्रों हेतु वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति समझी जाय। 2- जो महत्वपूर्ण विषय परिषद के हित में परिषद के समक्ष प्रस्तुत होने हों और जिनकी समयाभाव के कारण बाईसर-कुलेशन सदस्यों से अनुमोदित कराना हों उन्हें अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाय तथा उनका निर्णय परिषद का निर्णय माना जाय।

पुष्टि की गई

[signature]

अध्यक्ष
28/3/80